

वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग स्तर की समिति की कार्यवाही बैठक का विवरण

गूजर एजेंसी कार्यपालन अभियंता, अति उच्च शब्द (निर्माण) संभाग, छग राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित गिलाई द्वारा प्रस्तावित 132 के लिए, विद्युत पारेषण लाईन 132 के ही डी.सी.एस.एस. भानुप्रतापपुर (पुत्तरवाही) से पखांजूर लाईन के निर्माण हेतु जिले के नीचे लिखे ग्राम (पुत्तरवाही, घोटिया, विक्रमगंज, कोकड़े, कर्माड, पलाचुर, हाहालददी, भुसकी, पुडोमिचगांव, कोण्डे, दोडदेकादर एवं विखली) के आरक्षित जन संरक्षित वन, नारगी वन एवं राजस्व वन से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः विद्युत लाईन निर्कालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्त्रीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निवर्णन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुविभागीय रत्तर की समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016 को आयोजित की गई। जिसमें निम्नानुसार समिति की सदस्यों ने भाग लिया।

- | | |
|--|---------|
| 1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भानुप्रतापपुर | अध्यक्ष |
| 2. अनुविभागीय अधिकारी (वन.) भानुप्रतापपुर | सदस्य |
| 3. मण्डल संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भानु० | सदस्य |
| 4. श्री रतिराम करंगा जनपद पंचायत सदस्य भानुप्रतापपुर | सदस्य |
| 5. श्रीमती बनीता बाई सलाम जनपद पंचायत सदस्य भानु० | सदस्य |
| 6. श्री पीलम कुमार नरेटी जनपद पंचायत सदस्य भानु० | सदस्य |

वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में ग्राम पुत्तरवाही, घोटिया, विक्रमगंज, कोकड़े, कर्माड, पलाचुर, हाहालददी, भुसकी, पुडोमिचगांव, कोण्डे, दोडदेकादर एवं विखली की ग्राम सभाओं में स्थित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में पारित सकल्प पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति/अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कृषि, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग कर रहे हैं तथा अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी ने भूमि में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्रमाण—पत्र प्रदाय किया गया है। जो निम्नानुसार है—

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकम (हे.मे)
1	पुत्तरवाही	निरक	निरक
2	घोटिया	निरक	निरक
3	विक्रमगंज	श्री वशीराम पिता दशरू राम गोड	0.178
		श्री राम प्रसाद पिता दुरसाय गोड	0.405

4	कोकड़	श्रीमती कमलेश्वरी / भरारा गोड श्री भरोस राम / माझी गोड श्री रजमन / अकालू गोड	0.540 0.175 0.486
5	करामाड	श्रीमती रेन बाई पिता दुकाल सिंह गोड	0.237
6	पलाचूर	श्री कल्तेसिंह / डिटी गोड	0.081
7	हाजालददी	निरक	निरक
8	भूसकी	निरक	निरक
9	पुडोमिचगाँव	बोधनी बाई बेवा धनीराम गोड शोभी राम पिता बादु राम गोड	0.097 0.324
10	कोण्डे	बीसाराम पिता सुकदु गोड	0.432
11	दोडदेकादर	दुरुगसाय पिता मुल्ला गोड	0.351
12	चिखली	निरक	निरक
	योग :-		3.306

ग्राम पुडोमिचगाँव एवं दोडदेकादर में राजस्व वन भूमि पर वन अधिकार मान्यता प्रदान किया गया है।

अतः गैर वन उद्देश्य अर्थात् 132 के व्ही भानुप्रतापपुर (पुत्तरवाही) से पखांजूर तक विद्युत परेषण लाईन हेतु अनुविभाग भानुप्रतापपुर में स्थित वन मण्डल भानुप्रतापपुर (पूर्व) रेज में 35.070 हे. वन भूमि के विपथन/प्रत्यावर्तन को समिति के बैठक में सर्व सम्मति से प्रत्यावरित किया गया।

३०५/०६/१६
(अध्यक्ष)

अनुविभागीय अधिकारी (वन)

भानुप्रतापपुर




अनुविभागीय अधिकारी (वन)

भानुप्रतापपुर (पूर्व)

२०११/१२/२५/२०११
(सदरस्य)

जनपद पंचायत

भानुप्रतापपुर



जनपद पंचायत

भानुप्रतापपुर

Bapna
(सदरस्य)

जनपद पंचायत

भानुप्रतापपुर



मण्डल संयोजक
आदिम जाति कल्याण विभाग
भानुप्रतापपुर

वन भूमि के संबंध में अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक

दिनांक 04 / 08 / 2016

कलकटा वहोदया द्वारा मेसर्स कार्यपालन यन्त्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग ४ गवि पारेठ छानी मर्यादित भिन्नाई छ०ग० को गैरवानिकी कार्य हेतु जिला उत्तर बस्तर काकेर मे आरक्षित बनाडल गान्धीप्रतापपुर पूर्व/परिचम ने ग्राम प्रेमनगर धीली ३४ स्थित व्यपक्तेन हेतु काल्पनि रक्का 2.322 हेठ एवं ग्राम हरनगर स्थित वनभूमि रक्का 0.527 ह० कुल रक्का 2.849 हेठ को प्रस्तावित किया गया है। उक्त वनभूमि का अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं अन्य परम्परागत वन निवारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं 50 प्रतिशत ग्रामसभा के प्रावधानों वर्ता हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सरपक की अध्यक्षता में एवं 50 प्रतिशत ग्रामसभा के तथा ग्राम का समिति के गैजूदगी मे दिनांक 24/05/2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया जाकर परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव रो अवगत कराया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा ३ (२) के प्रावधान अनुसार प्रस्तावित भूमि क्षेत्र पर अधिकार मान्यता एवं प्राप्त करना वाले कोई पात्र व्यवित नहीं है एवं प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आयास या अन्य पारम्परिक गतिविधि हेतु कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत प्रामुख्यात्मिक) किसी अधिवारी या ऐर परम्परागत वनवारी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है। इस प्रकार कांपनी द्वारा प्रस्तावित भूमि को 132 केव्ही विद्युत परिषण लाईन कार्य के लिए व्यपक्तेन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। जिसके सबूत मे यन्त्र हेतु अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04/08/2016 को अध्यक्ष श्री आर० एस० दाकुर अनुविभागीय अधिकारी (रा) पखाजूर की अध्यक्षता मे समिति के सदस्यों की बैठक हुई। उक्त बैठक मे निमानुसार माननीय रादरयगण उपरिष्ट हुए :-

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुविभागीय अधिकारी (वन) पूर्व कापरी पखाजूर 2. मंडल संयोजक (आदिम जाति कल्याण विभाग) पखाजूर 3. श्री अलन राम नायक रादर्य जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा
(पुरुष सदस्य अ.ज.जा.) 4. श्रीमती राजकुमारी गलावी सादस्य जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा
(महिला रादर्य अ.ज.जा.) 5. श्री गोहर रेसिंह उरोडी अध्यक्ष जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा
(पुरुष सदस्य अ.ज.जा.) | सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य |
|--|---|

वन विभाग की ग्राम प्रेमनगर स्थित नारंगी वनभूमि रकबा 2.322 हेठो एवं हरनगढ़ स्थित नारंगी वन भूमि रकबा 0.527 हेठो पर उक्त कंपनी के प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि का सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी, संबंधित हल्का पटवारी द्वारा मौका जात्य किया गया है। जाच प्रतिवेदन में प्रस्तावित वनभूमि का सर्वे पचनामा सलान किया गया है जो कि नारंगी क्षेत्रान्तर्गत आता है। पुनर्विचार हेतु संबंधित हल्का पटवारी सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कापर्सी सरपब / सचिव ग्राम पंचायत प्रेमनगर एवं हरनगढ़ के ग्रामसभा की बैठक दिनांक 24/05/2016 का कार्यवाही विवरण अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिलेखों एवं प्राप्तान्माओं द्वारा पारित राकल्पों का अवलोकन किया गया।

प्रस्तावित नारंगी वनक्षेत्र पर विलुप्त प्राय जनजाति समूह के सदस्य निवासगत नहीं हैं तथा परापरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा रांचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं होना पाया गया है।

इस प्रकार ग्राम हरनगढ़ के नारंगी वनक्षेत्र कक्ष कमांक / खसरा कमांक 119, 123 कुल रकबा 0.527 हेठो एवं ग्राम पीढ़ी 34 प्रेमनगर के नारंगी क्षेत्र कक्ष कमांक / खसरा कमांक 678, 749, 539, 542 कुल रकबा 2.322 हेठो भूमि गैरवनिकी प्रयोजन हेतु आवेदक ४०५० विद्युत पारेषण कम्पनी गर्यादित गिलाई को 132 काल्ही विद्युत पारेषण लाइन स्थापना हेतु व्यपवर्तन किये जाने प्रस्तावित किया जाता है।

2016/05/24
श्री नोहरा अधिकारी
अध्यक्ष जनपद पंचायत कोयलीबड़ा
जिला उ.व.कांकेर(छ.ग.)

2016/05/24
अनुब्रिभागीय अधिकारी (वन.)
परखांजूर
जिलाउ.व.कांकेर(छ.ग.)

2016/05/24
श्री अनंत पद सदस्य नायक
सरकारी चरकोक्रमांकनायक
जनपद पंचायत कोयलीबड़ा
जिला उ.व.कांकेर(छ.ग.)

24/05/2016
अनुपेतमर्णित संधिकारी (वन.)
दृष्टि कालिका खासूदी

सदस्य
श्रीमती अनंत पद सदस्य नायक
सदस्य नायक अधिकारी मंडावी
सदस्य नायक अधिकारी मंडावी, कोयलीबड़ा

2016/05/24
मंडावी सदस्य नायक
आपात्कालीन विकास दण्ड कार्यपालीका
(आदिम जालियांगड़ा कार्यपालीका) परखांजूर

प्रदर्श-स"

प्रमाण -पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमण्डल भानुपुर पूर्व में ग्राम पुत्तरवाही के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 1.026 हेठो वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

- प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 1.026 हेठो एवं / राजस्व वन भूमि..... हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पुत्तरवाही, तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 29.06.2015 (प्रदर्श-“अ”) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“ब”) पर दर्शित है ।

- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव भीसांगोव ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति बेवी गावडे की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 29./06/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विरतार से समझाईश की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हेठों)
	पुत्तरवाही	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 29/06/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासता नहीं है, जिनका वन अधिकार “अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006” की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 29/06/2015 / दिनांक..... के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

(सील)

कलेक्टर

कलेक्टर (छ.ग.)

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला.....

दिनांक:- 08/07/2015

प्रदर्श-स"

प्रमाण - पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. नर्या. मिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमण्डल भानुपुर पूर्व में ग्राम घोटिया, के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 1.647 हेठो वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 1.647 हेठो एवं/राजस्व वन भूमि..... हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम घोटिया तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 (प्रदर्श-“अ”) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“ब”) पर वर्णित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव घोटिया ग्राम के सरपंच श्री/ सुरेन्द्र उडके की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 13/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाइश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की मात्रा रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।


(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निमानुसार है:-

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हेठोमें)
	घोटिया	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार “अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006” की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 13/05/2015 /दिनांक..... के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

(सील) 
कलेक्टर

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला.....

दिनांक:- 08/07/2015

प्रमाण - पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारेक. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकर जिला में आरक्षित वनमण्डल भानुपुर पूर्व में ग्राम विकमगंज के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की बन भूमि 3.634 हेतु एवं/राजस्व बन भूमि 0.583 हेतु जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम विकमगंज तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 (प्रदर्श-'अ') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-'ब') पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव घोटिया ग्राम के सरपंच श्री/ सुरेन्द्र उड़इके की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 13/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक राहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकवा(हेतुमें)
	विकमगंज	श्री वंशीराम पिता दशरथराम जाति गोड श्री रामप्रसाद पिता दूरसाय जाति गोडब्र	0.178 0.405
		योग:-	0.583

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन बन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (१) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 13/05/2015 / दिनांक..... के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

शील

नाम ()

कलेक्टर

अध्यक्ष-जिला वन अधिकारी समिति

जिला
ठ. व. काको (ख.)

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श-स"

प्रमाण-पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमण्डल भानुपुर पूर्व में ग्राम कोकड़े के बन भूमि व्यपर्वतन हेतु रकबा 1.004 हेठो वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 1.004 हेठो एवं / राजस्व वन भूमि 1.201 हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपर्वतित की जानी है तथा ग्राम कोकड़े तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 (प्रदर्श-'अ') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-'ब') पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव जातावाङ्ग ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति सुरजबाई की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 13/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाई शहनदी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हेठोमें)
	कोकड़े	श्री ति कमलेश्वरी / भरोसाजाति गोड़	0.540
		श्री भरोसाराम / मांझी जाति गोड़	0.175
		श्री रजमन/अंकालु जाति गोड़	0.486
		योग:-	1.201

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपर्वतन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 13/05/2015 / दिनांक..... के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपर्वतन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

शील

नाम ()

कलेश्वर

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति

जिला व. काकड़ा

दिनांक 08/07/2015

प्रमाण -पत्र

नेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. मिलाई छ.ग. को रकबा 0.540 है० वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.540 है० एवं/राजस्व वन भूमि 0.237 है० जो इस कार्य हेतु व्यपर्वर्तित की जानी है तथा ग्राम कर्मांडल तहसील दुर्गाकोदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 08/06/2015 (प्रदर्श- "अ") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श- "ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव कर्मांडल ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति बरतनीन घनेलिया की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 08/06/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य एवं समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हेक्टरोंमें)
	कर्मांडल	श्री मति रैनबाई पति दुकालसिंग / जाति गोड	0.237
		योग:-	0.237

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपरिधिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपर्वर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 08/06/2015 / दिनांक..... के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपर्वर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

शील

नाम ()

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष-कर्मांडल अधिकार समिति

जिला डॉ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श-स"

प्रमाण - पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारेकं. मर्या, भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित बनमण्डल भानुपुर पूर्व में ग्राम पलाचूर के बन भूमि व्यपर्वतन हेतु रकवा 7.746 हेठो वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया ला पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 7.746 हेठो एवं/राजस्व वन भूमि 0.081 हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपर्वतित की जानी है तथा ग्राम पलाचूर, तहसील दुर्गकोंडल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यबाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 (प्रदर्श- "अ") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श- "ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव पलाचूर ग्राम के सरपंच श्री/श्री मति संजू नरेटी की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 16/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदल्ल वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकवा(हेठोमें)
	पलाचूर	श्री फल्लेसिंग / श्री झिटी जाति गोड़	0.081
		योग:-	0.081

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के उहराव प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपर्वतन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 16/05/2015 / दिनांक..... के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपर्वतन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

शील

नाम ()

प्रदर्शक संघर्ष

अध्यक्ष- बालक वन अधिकार समिति

ब. कांकेर (उ.क.)

दिनांक 08/07/2015

प्रमाण-पत्र

मेसस कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारेक. मर्या. भिलाई छ.ग. को रकबा 2.911 हे० वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण है तथा ग्राम हाहालदौदी, तहसील दुर्गकोडल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 (प्रदर्श-“अ”) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“ब”) पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव पलायूर ग्राम के सरपंच श्री/श्री मति संजू नरेटी की अधीक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 16/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विरतार से समझाई गई है एवं पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे०मे)
	हाहालदौदी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की सहिती का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राप्त जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार “अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006” की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 16/05/2015 /दिनांक..... के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

शील


कलेक्टर
नाम उ. ब. काकेर (छ.ग.)
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला.....

दिनांक 08/07/2015

प्रमाण -पत्र

गेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.गवि. पारेक, मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वननंण्डल भानुपुर पूर्व में ग्राम भुसकी के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 5.808 हेठो वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 5.808 हेठो एवं / राजस्व वन भूमि.....हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम भुसकी तहसील दुर्गाकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 (प्रदर्श-“अ”) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“ब”) पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव भुसकी ग्राम के सरपंच श्री नरसिंग गावडे की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 16/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाइश हिन्दी एवं पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हेठों)
	भुसकी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार “अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006” की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है। यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

शील
कलेक्टर
नाम: डॉ. काकेर (धग.)
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला.....

दिनांक 08/07/2015

प्रभाण - पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारेकं. मर्या. भिलाई छ.ग. को रकवा 2.805 हे० वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 2.805 हे० एवं / राजस्व वन भूमि 0.432 .हे० जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम कोडे तहसील दर्गाकोडल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 .(प्रदर्श- "अ") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श- "ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव कोडे ग्राम के सरपंच श्री उमेंदसिंह कल्लो की दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकवा(हे०में)
	कोडे	बीसाराम पिता सुकदू गोड	0.432
		योग	0.432

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तग्राम जनजाति समूह (भी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 16/05/2015 / दिनांक..... के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

शील
नाम (कलेक्टर एवं)
अध्यक्ष-जि. कलेक्टर समिति
जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श-स"

प्रमाण - पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.क. मर्या. मिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमण्डल भानुपुर पूर्व / पश्चिम में ग्राम चिखली के बन भूमि व्यपर्वतन हेतु रकबा 7.949 हेठो वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 7.949 हेठो एवं / राजरव वन भूमि..... हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपर्वतित की जानी है तथा ग्राम चिखली तहसील दुर्गकोंडल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 18/05/2015 . (प्रदर्श- "अ") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श- "ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव चिखली ग्राम के सरपंच श्री दारासिंह की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 18/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण हैं, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाई गई एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हेठों)
	चिखली	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपर्वतन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 18/05/2015 / दिनांक..... के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपर्वतन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

शील

कलेक्टर

जगद्द. ड. कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला.....

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श-सं

प्रमाण - पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. मिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित बनमंडल भानुपुर पूर्व / पश्चिम में ग्राम प्रेमनगर पी.बी-34 के बन भूमि व्यपर्वतन हेतु रकबा 2.322 हेठो बन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत बन निवासी (बन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत बन निवासी (बन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण मान्यता हेतु रकबा 2.322 हेठो एवं / राजस्व बन भूमि..... हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपर्वतित की जानी प्रस्तावित क्षेत्र की बन भूमि 2.322 हेठो एवं / राजस्व बन भूमि..... हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपर्वतित की जानी है तथा ग्राम प्रेमनगर तहसील पखांजूर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 24/05/2015 (प्रदर्श- "अ") एवं बन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श- "ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव प्रेमनगर ग्राम के सरपंच श्री कमलेश हलधर की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 24/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम बन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको एवं परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत बन अधिकार की मान्यता

पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अथवा)


प्रस्तावित बन क्षेत्र में प्रदत्त बन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	बन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हेठोमें)
	प्रेमनगर पी.बी-34	निरक्त	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपर्वतन हेतु प्रश्नाधीन बन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका बन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत बन निवासी (बन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।


कलेक्टर
 डॉ. कलेक्टर एवं
 अध्यक्ष-जिला बन अधिकार समिति
 जिला.....

दिनांक 08/07/2015

प्रमाण - पत्र

नेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमण्डल भानुपुर पूर्व / पश्चिम में ग्राम हरनगढ़ के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 0.527 हेठो वन भूमि के प्रकरण ने अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.527 हेठो एवं / राजस्व वन भूमि हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तन की जानी है तथा ग्राम हरनगढ़ तहसील पखांजूर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 24/05/2015 (प्रदर्श- "अ") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श- "ब") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव हरनगढ़ ग्राम के सरपंच श्री मति प्रियंका नरेटी की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 24/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाइश हिन्दी एवं पत्र की पात्रता रखने वाले व्यवित नहीं हैं।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हेठों)
	हरनगढ़	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है। संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 24/05/2015 / दिनांक के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

शील
कलेक्टर

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति
जिला.....

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श-स"

प्रमाण -पत्र

नेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.ग.वि, पारे.क. मर्या. मिलाई छ.ग. को हेतु रकबा है० वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि है० एवं/राजस्व वन भूमि 0.421 .है० जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पुडोमिचगांव तहसील दुर्गकोदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 .(प्रदर्श-“अ”) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“ब”) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव पुडोमिचगांव ग्राम के सरपंच श्री नरसिंग गावडे की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाई श हिन्दी एवं पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(है०मे)
	पुडोमिचगांव	बोधनी बाई वेवा धनीराम गोड	0.097
		शोभीराम पिता बादुराम गोड	0.324
		योग:-	0.421

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपरिधिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार “अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006” की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संक्षिप्त रखना है संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 17/05/2015 /दिनांक..... के सकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

शील
नाम ()
कलेक्टर परं
अध्यक्ष-प्रतिवेदन अधिकार समिति
जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श-स"

प्रमाण - पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.क. नर्या. मिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमण्डल भानुपुर पूर्व / पश्चिम में ग्राम दोडदेकादर के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा हेठो वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि हेठो एवं / राजस्व वन भूमि 0.351 हेठो जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम दोडदेकादर तहसील दुर्गकोदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 (प्रदर्श- "ब") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श- "ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दोडदेकादर ग्राम के सरपंच श्री दारासिंह की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाई श हिन्दी एवं पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।


(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हेठों)
	दोडदेकादर	दुरुगासाय पिता मुल्ला गोड़	0.351
	योग		0.351

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है अधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।


 शील
 नाम (कबूलकर एवं)
 अध्यक्ष-विलुप्तप्राय जनजाति समिति
 जिला उ. ब. काकोर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015